दिल्ली विकास प्राधिकरण
प्रशिक्षण विभाग
सी-1/303, तीसरी मंजिल, विकास सदन
आईएनए, नई दिल्ली-110023
फ़ोन नंबर 011-2466-1545/1582/1505

मि.स. PERS/TRG/0002/2024/F1/-AD(TRAINING DEPTT.) /03 दिनांक 05-01-2024

परिपत्र

विषयः- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण, सत्रः फरवरी, 2024 से जुलाई, 2024 तक के संबंध में।

हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी पत्र संख्या- 13/15/2023/उ.नि.(टं./आ.)/1886 दिनांक- 07/12/2023 के अनुसार, सुचित किया जाता है की हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का दीर्घकालिक प्रशिक्षण (ऑफलाइन) आगामी सत्र फरवरी, 2024 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे तथा उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें नियमानुसार सभी वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कि व्यक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुस्त पुरस्कार आदि देय होंगे ।

<u>हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी:-</u>

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण दीर्घकालिक प्रशिक्षण (ऑफलाइन)
प्रशिक्षण की अवधि एवं	अवधि फरवरी, 2024 से जुलाई, 2024 (6 माह, 1 घंटा प्रतिदिन)
परीक्षा	जुलाई, 2024 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में।
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मिडिल (आंठवी) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।
पात्रता	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होनें अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

<u>अनिवार्यः-</u>

1. सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों, अवर श्रेणी लिपिकों, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।

<u>स्वैच्छिकः-</u>

1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि।

2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि।

वित्तीय प्रोत्साहन:-

1. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनाक 26 जुलाई, 2017 के कार्यालय जापन संख्या 21034/08/2017-रा.मा. (प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
3. हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर, निर्धारित प्रतिशत अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित शर्त पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे, जिनका भुगतान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाएगा:-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण:-

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अक प्राप्त करने पर	800/-

नामांकन विधि:-

1. उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण निर्धारित नामांकन प्रपत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2024 तक सीधे प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. नामाकम निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई-डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
3. आधे-अधूरे भरे गए नामांकन प्रपत्र बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।
4. प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी नामित कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर निर्धारित तारीखों को समय पर पहुंच जाना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए दिनांक 12-13 फरवरी, 2024 (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) को प्रशिक्षण केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
5. संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) दवारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे सबंधित कर्मचारी **प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण** में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

अतः सभी इच्छुक कनिष्ठ सचिवालय सहायक/निम्न श्रेणी लिपिक (जे0एस0ए0/एल0डी0सी0) अपना नामांकन (Nomination) (नाम, पदनाम, मोबाइल नं0, ईमेल आईडी, तैनाती स्थान और हिंदी में योग्यता) उचित चैनल के माध्यम से विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 31 जनवरी 2024 को शाम 4:30 बजे तक भेजें। नामांकन को प्रशिक्षण विभाग की ईमेल आईडी dy.dirtrg1@gmail.com पर भी भेजा जा सकता है। कोई भी नामांकन अंतिम तिथि के बाद स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न- नामांकन प्रपत्र।

नोट: सभी प्रधान/आयुक्त/मुख्य विधि सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुकार।

05.01.2024
(एस0 पी0 अग्रवाल)
निदेशक(प्रशिक्षण)

सभी विभागाध्यक्ष/All HOD's

सूचना पट्टों और लिफ्ट के पास
सूचनार्थ:-

1. आयुक्त(कार्मिक एवं प्रशिक्षण)
2. निदेशक (प्रशिक्षण)
3. उप निदेशक (प्रशिक्षण)
4. उप निदेशक (कार्मिक)-3
5. उप निदेशक (हिंदी विभाग)
6. उप निदेशक (प्रणाली) : कृपया इस परिपत्र को डी0 डी0 ए0 की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
7. गार्ड फाइल

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)